फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

भगवान सहाय बनाम राज्य सरकार व अन्य

केस संख्या 143/12

नं.1.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम गुडलिया में पेश हुई। प्रार्थी कजोड़मल उप0। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के अधिवक्ता उप0। पत्रावली बहस हेतु नियत चली आ रही है। प्रकरण में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र नं.1 स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल कार्ड के साथ रहे।	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम गुड़लिया)
पीठासीन अधिकारी :–सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :– 143/2012

उनवान

1. भगवानसहाय यादव पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ
2. कजोड़मल यादव पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ
3. गोपाल लाल पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ
4. मानाराम पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ
5. मदनलाल पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ

समस्त जातियान यादव, निवासीयान ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।
2. हनुमान पुत्र रामावतार
3. रामदेव पुत्र रामावतार

जातियान अहीर, निवासीयान ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांकः–01.06.2018

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि खसरा नं0 166 रकबा 0.39 हैक्टेयर स्थित ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड.में दर्ज है। जिसका पुराना खसरा नं0 81 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में दर्ज था। प्रार्थीगण के पिता रघुनाथ पुत्र मांगु विवादित आराजीयात पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा समय–समय पर उक्त आराजीयात के संबंध में पेलन्टि जमा करवाते चले आ रहे थे। प्रार्थीगण के पिता रघुनाथ की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर काश्त कर अपने परिवार का जीवीकोपार्जन करते रहे हैं तथा वर्तमान में भी विवादित आराजीयात पर काबिजकाश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कर रहे हैं। विवादित आराजीयात का कुल रकबा पूर्व में 3 बीघां 16 बिस्वा था जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण घट कर 0.39 है0 हो गया है। जबकि मौके पर विवादित आराजीयात 3 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। दिनांक 10.09.2012 को प्रार्थी सं0 1 व 2 विवादित आराजीयात पर अपनी फसल की देख रेख कर रहे थे तो हल्का पटवारी श्री रतनसिंह मौके पर आया और प्रार्थीगण को धमकी दी कि उक्त आराजीयात सरकारी है इसे खाली कर दो नही तो तुम लोग के खिलाफ कार्यवाही करुंगा और जबरन ट्रैक्टर लाकर तुम्हारी फसल को नष्ट कर दूंगा तो उपस्थित प्रार्थीगण ने ऐसा नहीं करने का निवेदन किया तथा दिनांक 01.10.2012 को पटवारी व नायब तहसीलदार ने मौके पर आकर फसल नष्ट करने की धमकी दी तो आस–पास के लोग इकट्ठा होने पर उक्त लोग मौके से चले गये और जाते–जाते प्रार्थीगण को धमकी दी कि आज तो हम वापस जा रहे हैं आईन्दा आकर तुम्हारी फसल को नष्ट करके जमीन खाली करवा लेंगे। अतः प्रार्थीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल दावा अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नं0 166 रकबा 0.39 है0 स्थित ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके किसी भू–भाग प्रार्थीगण को अप्रार्थी जबरन बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे या करावें और न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें, उक्त कृत्य अप्रार्थी न स्वयं करें, न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट व मजदूरों से अथव दीगर माध्यम से करवाये तथा मौके की स्थित यथावत बनाये रखें।

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि भूमि खसरा नं0 166 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित होना व उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार है परन्तु उक्त भूमि किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं है। उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर प्रार्थीगण/वादीगण व उनके पिता रघुनाथ का ना तो कभी कब्जेकाश्त रहा और ना ही सम्पूर्ण भूमि की कभी कोई पेनल्टी जमा करवाई बल्कि उक्त भूमि खसरा नं0 166 रकबा 0.39 है0 में से 0.16 है0 पर मिन अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 लगभग 30 वर्षो से काबिज हैं तथा पुख्ता मकान, पशु बाड़ा बनाकर निवास कर रहे हैं तथा सम्वत् 2056 से 2063 एवं 2066 से 2067 व 2070 तथा धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिसों से यह साबित होता है तथा इसके संबंध में तहसील [illegible] प्रकरण सं0 93/2013 सरकार बनाम हनुमान व प्र[illegible] न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

श्रीमान तहसीलदार चौमूं द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं0 9/6/राज0/6/2000 दिनांक 10–01–2013 की रोशनी में दिनांक 18–02–2014 को निर्णय कर उक्त भूमी का नियमन मिन उत्तरदाता अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के नाम नियमन करने की अनुषंशा की है। उक्त भूमि के रकबा 0.16 हैक्टेयर की दुरूस्ती करवाने का प्रार्थीगण/वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण /वादीगण को मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम गुड़लिया में पेश हुई। प्रार्थी कजोड़मल उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रकरण में एडवर्स पजेशन के आधार पर (सिवाचक भूमि) राज्य सरकार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा है, जो कि कानूनन नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम गुडलिया में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner